# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अ विविध जीसीएमएस नंबर 2025/402 बअनवान भरतसिंह वगैरा बनाम किशोरसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| अ हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 27 05/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री हनुमानसिंह चौहान उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री भरत जे. राठौड उपस्थित। वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलिया के खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.0400 हैक्टर एवं ग्राम सेवतलाव के खसरा नंबर 1008 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 1190 रकबा 3.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1188 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 1189 रकबा 0.200 हैक्टर, 197 रकबा 2.3400 हैक्टर, खसरा नंबर 198 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 199 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1560/188 रकबा 2.6100 हैक्टर पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नंबर में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त करने व आने जाने के रास्ते में व्यवधान करने से, कुओं से सिंचाई नहीं करने देने से रोकने एवं अप्रार्थीगण द्वारा आने जाने के रास्ते में बाधा डालने से रोकने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने जाने का निवेदन किया है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रस्तुत विभाजन, घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद व उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अनावश्यक तंग परेशान करने, मानसिक व शारीरिक कष्ट वेदना व उत्पीडन करने की नियत से प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।<br>पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलिया के खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.0400 हैक्टर एवं ग्राम सेवतलाव के खसरा नंबर 1008 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 1190 रकबा 3.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1188 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 1189 रकबा 0.200 हैक्टर, 197 रकबा 2.3400 हैक्टर, खसरा नंबर 198 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 199 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1560/188 रकबा 2.6100 हैक्टर पुश्तैनी भूमि है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला बनना, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात ताफैसला वाद रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलिया के खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.0400 हैक्टर एवं ग्राम सेवतलाव के खसरा नंबर 1008 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 1190 रकबा 3.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1188 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 1189 रकबा 0.200 हैक्टर, 197 रकबा 2.3400 हैक्टर, खसरा नंबर 198 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 199 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 1560/188 रकबा 2.6100 हैक्टर की विभाजन, खातेदारी घोषणा व सार्वकालिका निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद के निर्णय तक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें साथ ही | |

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|

बेचान, हस्तांतरण भी नहीं करें एवं आवागमन एवं सिंचाई हेतु भी बाधा नहीं उत्पन्न नहीं करें। इस हेतु ताफैसला वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उप-खण्ड अधिकारी, बाली